भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1499
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान परियोजनाएं

1499. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही वर्तमान परियोजनाओं, विशेषकर जलापूर्ति, सिंचाई और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और उक्त मिशन के समय पर पूरा होने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) राजस्थान के आकांक्षी जिलों में जल जीवन मिशन की स्थिति और कवरेज के संबंध में आंकड़ों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में राज्य की तुलना में अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार अलग है; और
(घ) सरकार द्वारा राजस्थान में जल-संबंधी परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल धनराशि कितनी है तथा विभिन्न जिलों, विशेषकर आकांक्षी जिलों में वित्तीय सहायता किस प्रकार संवितरित की जाती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (घ) अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है। 'पेयजल' राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन,

कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जेजेएम आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 तक, केवल 11.68 लाख (10.84%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 48.00 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 11.02.2025 तक, राज्य के 1.07 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 59.68 लाख (55.39%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां सीधे जारी की जाती हैं और भारत सरकार के स्तर पर उनके जिला-वार निधि ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (11.02.2025 तक) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और राजस्थान राज्य द्वारा सूचित किए गए निधि उपयोग का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	**केंद्रीय**					**राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय**
	अथ शेष	**आवंटन**	**आहरित निधि**	**उपलब्ध निधि**	**संसूचित उपयोग**	
2019-20	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	686.69
2020-21	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
2021-22	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,919.83	1,665.84
2022-23	1,288.79	13,328.60	6,081.80	7,370.59	3,937.70	4,123.31
2023-24	3,435.49	3,019.94	250.00	3,685.49	2,898.54	3,904.64
2024-25*	786.95	11,061.46	1,659.22	2,446.17	2,167.65	1,358.36

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस **11.02.2025 की स्थिति के अनुसार*

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत, वर्ष 2016-17 में राजस्थान राज्य में 2 परियोजनाओं नामत: नर्मदा नहर परियोजना और गंगा नहर परियोजना के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के लिए 2016-24 के

दौरान क्रमशः 427.82 करोड़ रुपये और 30.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) जारी की गई थी। इन दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता क्रमश: 245.88 हजार हेक्टेयर और 69.69 हजार हेक्टेयर है। 2021-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई को जारी रखने की मंजूरी के बाद, राजस्थान की एक और परियोजना, नामत: परवन बहुउद्देशीय परियोजना को वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया था। इस परियोजना की अधिकतम सिंचाई क्षमता 1.22 लाख हेक्टेयर है। परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 364.19 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है और 69.49 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष में परियोजना की प्रगति और राज्य द्वारा किए गए बजट प्रावधान के आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, राजस्थान राज्य में पीएमकेएसवाई के आरआरआर (मरम्मत, नवीकरण और बहाली) घटक के तहत 02 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

योजना का नाम	**लाभान्वित जिला**	**समावेशन वर्ष**	**अनुमानित लागत**	**केंद्रीय हिस्सा**	**लक्ष्य आईपी**	**लक्षित भंडारण बहाली (एमसीएम)**	**सीए जारी (करोड़ में)**
37 आरआरआर	डूंगरपुर (5), चितौड़गढ़ (1) प्रतापगढ़ (1), सवाईमाधोपुर (3), धौलपुर (2), दौसा (1), जयपुर (3), सीकर (1), टोंक (2), भरतपुर (2), अजमेर (5), झलावर (1), बारां (2), बूंदी (8)	2021-22	124.71	74.82	7.48	1.71	40.76
84 आरआरआर	कोटा (44), बूंदी (20), टोंक (20)	2023-24	142.92	85.75	4.40	6.16	0.00
कुल			**267.63**	**160.58**	**11.89**	**7.87**	**40.76**

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के मकानों के निर्माण हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 1 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएवाई-जी के तहत मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण का लक्ष्य था। इस योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ और घरों के निर्माण हेतु कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। 10.02.2025 तक, पीएमएवाई-जी के तहत 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य के मुकाबले, 3.79 करोड़ घरों (राजस्थान के 22,15,247 घरों सहित) का कुल लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया गया है, जिनमें से 3.38 करोड़ घर (राजस्थान के 19,98,639 घरों सहित) लाभार्थियों को पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 10.02.2025 तक, 2.69 करोड़ से अधिक घरों (राजस्थान के 17,00,553 घरों सहित) का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। पीएमएवाई-जी की शुरूआत के बाद से, राजस्थान राज्य को जारी सहायता का केंद्रीय हिस्सा 13,152.03 करोड़ रुपये (पीएम-जनमन सहित) है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक अन्य कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) है। महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निधियों का परियोजना-वार आबंटन नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 10.02.2025 तक, राजस्थान राज्य में 2,57,321.00 लाख रुपये के कुल व्यय के साथ 56,351 जल-संबंधी कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

(ख) राजस्थान में जल जीवन मिशन का धीमा कार्यान्वयन मुख्यत: राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित कई जेजेएम कार्यों की निविदा न दिए जाने के कारण हुआ है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 तक जेजेएम के तहत राज्य को आवंटित 41,414.24 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान में से, राज्य हिस्से की निधि की अनुपलब्धता के कारण राज्य केवल 12,268.32 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सका, इस प्रकार, राजस्थान में जेजेएम के कार्यान्वयन की गति प्रभावित हुई।

राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन के प्रावधान में तेजी लाने के लिए, जेजेएम के जमीनी कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को प्रभावित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इनमें नियमित आधार पर राज्य सरकार के साथ उच्च

स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करना और विभाग से बहु-अनुशासनात्मक टीमों का दौरा करना शामिल है ताकि उन क्षेत्रों को प्रकटित किया जा सके जिन पर मिशन मोड में कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि सभी परिवारों हेतु समयबद्ध तरीके से नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

(ग) राजस्थान राज्य में 05 आकांक्षी जिले हैं, नामत: बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। राज्य सरकार द्वारा जेजेएम आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 तक, इन जिलों में केवल 0.75 लाख (8.31%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति की व्यवस्था थी। तब से, लगभग 3.54 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 11.02.2025 तक, इन जिलों के 8.97 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 4.29 लाख (47.43%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति उपलब्ध है, जबकि राज्य का औसत 55.39% है।

*****